तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/4/18	प्र.सं. 152/17 श्याम लाल पुत्र उदयलाल सिंह बनाम उदय सिंह उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ~~सहायक~~ कलक्टर ~~मौजूद नहीं है~~ है। ~~अवकाश पर है/फरार है~~ अतः पत्रावली दिनांक.....को पेश हो। 30/7/18 रीडर उपखण्ड अधिकारी,करेड़ा	
23.5.18	पत्रावली केम से हमुदा पेश हुई विपक्षी उदयसिंह उपस्थित उपस्थित पक्षकार को सुनागया। प्रकरण में दिनांक 06.07.2016 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जो वर्तमान परिस्थितियों में अपरिवर्तनीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 340/s 212 R.T.A. बिन्दु विपक्षी स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। यह आदेश मूल वाद के निस्तारण होने तक प्रभाव में रहेगा। एवं इसका उभय पक्ष पर प्रभावी रहेगा। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसला शुमार हो कि मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय आज दिनांक 23.05.18 को खुले इजलास सुनाया गया। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	अक्षय सिंह

Scanned by CamScanner